कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला-बुरहानपुर (म.प्र.)

deo.mpedbhn@mp.gov.in

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूह के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2020-21

-:: विज्ञप्ति ::-

बुरहानपुर दिनांक : 10/06/2020

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के निर्देशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि बुरहानपुर जिले में वर्ष 2019-20 के लिये, निर्धारित 14 एकल समूहों में विभाजित 28 देशी एवं 16 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का संचालन वर्ष 2020-21 की शेष अवधि अर्थात् दिनांक 13 जून 2020 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये, पुनर्निष्पादन के बीच लगने वाली समयावधि के लिये वर्ष 2020-21 के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य के आधार पर एक दिन के आरक्षित मूल्य के विरूद्ध निविदा/ऑफर के माध्यम से निष्पादन कलेक्टर जिला बुरहानपुर की अध्यक्षता मे गठित जिला समीति द्वारा कलेक्टोरेट सभा कक्ष बुरहानपुर में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 77 दिनांक 25 फरवरी 2020 एवं 176 दिनांक 23 मई 2020 में प्रकाशित की गई शर्तो एवं निर्बधनों के अधीन दिनांक 12 जून 2020 दिन शुक्रवार को टेण्डर के माध्यम से निष्पादित की जायेगी।

निविदा प्रपत्र के विक्रय एवं जमा करने हेतु नियत तिथि एवं समय

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1.	मदिरा दुकानों के निविदा प्रपत्र विक्रय करने का तिथि एवं समय ।	दिनांक 10 जून 2020 को विज्ञप्ति जारी करने से दिनांक 12 जून 2020 को अपरान्ह 14:30 बजे तक।
2.	भरे हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एव समय	दिनांक 12 जून, 2020 अपरान्ह 15:00 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा निविदा प्रपत्र को खोलकर निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 12 जून, 2020 दिन शुक्रवार को सांय 16:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति एकल समूह 10,000/- रूपये निर्धारित है। निविदा प्रपत्र का विक्रय जिला आबकारी अधिकारी, जिला बुरहानपुर के पक्ष में सायबर ट्रेजरी जमा चालान के विरूद्ध किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा उक्त मदिरा दुकानों का विवरण, संबंधित नियमों आदि की जानकारी, आवेदन पत्र के संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण आदि निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क जिला आबकारी अधिकारी जिला बुरहानपुर के कार्यालय से कार्यालयीन समय में एवं विभागीय वेबसाईट **www.mpexcise.org** से प्राप्त की जा सकती है।

संलग्न :- सेलपेपर

(जिला समिति द्वारा अनुमोदित)

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर,
जिला-बुरहानपुर म.प्र.

......2

Scanned by CamScanner

पृ.क्रंमाक/आब/ठेका/2020/ 971 बुरहानपुर दिनांक 10/06/2020

प्रतिलिपि :-

1- आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- आयुक्त जनसम्पर्क, बाणगंगा, भोपाल की ओर विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित कर अनुरोध है, कि कृपया विज्ञप्ति राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

3- पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4- अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5- उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बुरहानपुर की ओर प्रेषित।

7- सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, जिला............................(समस्त) की ओर विज्ञप्ति के प्रचार–प्रसार हेतु।

8- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग.................................. (समस्त) जिला बुरहानपुर की ओर बुरहानपुर जिले की मदिरा दुकानों के निष्पादन बाबत विज्ञप्ति एवं सेल पेपर की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कार्यवाही हेतु।

9- सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग, बुरहानपुर की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रों मे समाचार के रुप में अधिकाधिक प्रकाशन कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

10- सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक, मण्डल/वृत/भांडागार ....(समस्त) जिला बुरहानपुर की ओर भेजकर लेख है कि, विज्ञप्ति का अधिकाधिक प्रचार प्रसार अपने प्रभाराधीन क्षेत्रों में कराया जाना सुनिश्चित करें ।

11- सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

संलग्न – सेलपेपर

कलेक्टर,
जिला–बुरहानपुर म.प्र.

Scanned by CamScanner